(2021)01 आईएलआर ए1125

मूल क्षेत्राधिकार

दीवानी

दिनांक : इलाहबाद -18.01.2021

के समक्ष

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

मध्यस्थता और सुलह आवेदन अंतर्गत धारा 11(4)संख्या-5 सन् 2019

साइमन लिमिटेड .....आवेदक

बनाम

मध्यांचल विद्युत् वितरण निगम लि० और अन्य .....प्रतिपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : श्री रोनक चतुर्वेदी, श्री अनुराग खन्ना, श्री शिवांक दिद्दी

विपक्षीगण के अधिवक्ता -श्री कपिल देव सिंह राठोर, श्री गिरीश चन्द सिन्हा, श्री मुकेश कुमार सिंह, श्री मयंक सिन्हा, श्री मयंक सिंह, श्री अभिषेक श्रीवास्तव

दीवानी विधि -एक स्वतन्त्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया है - एक लिखित समझौता मौजूद है जिसमे मध्यस्थता खण्ड शामिल है - जिस क्रम में समीक्षा दायर की गयी है - प्रतिवादी ने अपनी प्रारंभिक आपत्ति नहीं छोड़ी - दर्ज की गयी सहमति कार्यवाही के रिकार्ड का सही प्रतिबिम्ब नहीं है जो अदालत के समक्ष मौजूद था - तीन अन्य के कारण विवादित आदेश पारित करते समय गलती हुई - चूंकि सहमति मौजूद नहीं है ।

समीक्षा आवेदन अनुरक्षणीय (ई-7)

उद्धत वादों की सूची :-

1- पुष्पलता जैन बनाम एम/एस राज इंटरप्राइजेज; एआईआर ऑनलाइन 2020 एमपी 551,

2- ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड; एआईआर ऑनलाइन 2018 एससी 891,

3- यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम इंद्र राज वर्मा एवं अन्य; एआईआर 2018 एएलएल 6,

4- ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं अन्य; 1980 सप्लिमेंट 1 एससीसी 420,

5- श्रीमती चंद्रा दीक्षित बनाम स्मार्ट बिल्डर्स; (2008)एससीसी ऑनलाइन एएलएल 85,

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

6- एम्/एस शिव हरे बिल्डर्स, आगरा बनाम कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय प्रभाग, लोक निर्माण विभाग; 2010 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 2309,

7- एंटीकेरोस शिपिंग कॉर्पोरेशन बनाम अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड; 2020 (3) एमएचएलजे 855,

8- महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक एवं अन्य; (1982) 2 एससीसी 463,

9- पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एसोसिएटेड ठेकेदारों; (2015) 1 एससीसी 32,

10- एडोर सामिया (पी) लिमिटेड बनाम पीके होल्डिंग्स लिमिटेड; (1999) 8 एससीसी 572,

11- कोंकण रेलवे कार्पोरेशन बनाम मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (2000) 7 एससीसी 201,

12- कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन बनाम रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड; (2002) 2 एससीसी 388,

13- एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड; (2005) 8 एससीसी 618,

14- जैन स्टूडियोज़ लिमिटेड द्वारा अध्यक्ष बनाम शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड; (2006) 5 एससीसी 501,

15- ग्रेटर मुम्बई नगर निगम एवं अन्य बनाम प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य; (2019) 3 एससीसी 203,

(माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह द्वारा उद्घोषित)

रि: सिविल विविध विलंब माफी आवेदन संख्या 1 सन् 2019 और रि: सिविल विविध समीक्षा आवेदन संख्या 2 सन् 2019

1. समीक्षा आवेदन में आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री गिरीश चंद सिन्हा और श्री मुकेश कुमार सिंह को सुना और प्रतिवादी-दावेदार के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री रोनक चतुर्वेदी की सहायता से श्री अनुराग खन्ना, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान समीक्षा आवेदन मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यहां 'विपरीत पक्ष' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर किया गया है, जो मध्यस्थता और सुलह आवेदन अंतर्गत धारा 11(4) के तहतसंख्या 5 सन् 2019 में विपरीत पक्ष संख्या 1 है, त्वरित संदर्भ के लिए, दिनांक 08.05.2019 के आदेश का प्रासंगिक भाग यहां उद्धृत किया जाता है:

"श्री अनुराग खन्ना, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता , सहायता प्राप्त द्वारा श्री रौनक चतुवेर्दी और श्री शिवांक द्विवेदी आवेदक के अधिवक्ता और श्री अभिषेक श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता /विशेष अधिवक्ता और श्री मयंक सिंह प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना गया ।

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

यह आवेदन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(4) के तहत दायर किया गया है, जिसके द्वारा आवेदक ने विवाद को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की है।

आवेदक एक कंपनी है, जो घटक, आपूर्ति और वितरण से संबंधित बिजली के क्षेत्र में विनिर्माण सेवाएं प्रदान करती है।

आवेदक कंपनी ने कुछ वस्तुओं और संबंधित सेवाओं की आपूर्ति के लिए उत्तरदाताओं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। जैसे कि कार्यान्वयन।

उक्त समझौता, आवेदक और प्रतिवादी सं॰ 1 के बीच दिनांक 25 अगस्त, 2014 को निष्पादित हुआ।

25 अगस्त, 2014 का उक्त समझौता अनुबंध की विशेष शर्तों के साथ-साथ अनुबंध की सामान्य शर्तों को भी प्रदान करता है। उक्त समझौता आगे इस प्रकार प्रदान करता है: -

"इसके साक्ष्य में पार्टियों ने इस समझौते को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार और सभी अधीनस्थ न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार में लागू कानूनों के अनुसार दिनांक 25 अगस्त 2014 को ऊपर बताए गए अपने विशेष क्षेत्राधिकार के अंतर्गतनिष्पादित किया है।"

उक्त समझौते का खंड जीसीसी 7.2 इस प्रकार प्रदान करता है:-

"विवादों के समाधान के लिए औपचारिक तंत्र होगा:

यदि पक्षों द्वारा इस तरह के विवाद और मतभेद के प्रारंभ होने की तिथि से 28 दिनों के भीतर आपसी परामर्श से इस तरह के विवाद या मतभेद को हल करने में विफल रहते हैं, तो किसी भी पक्ष के लिए यह आवश्यक होगा कि विवाद को नीचे वर्णित औपचारिक तंत्र के समाधान के लिए भेजा जाए (विवाद शुरू होने की तारीख उस तारीख से ली जाएगी जब यह खंड संदर्भ किसी भी पक्ष द्वारा औपचारिक संचार में स्पष्ट रूप से विवाद के अस्तित्व का उल्लेख करते हुए या पारस्परिक रूप से सहमत होने के रूप में उद्धृत किया गया है।

ए. बोलीदाताओं के लिए विवादों के समाधान की व्यवस्था भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार होगी। मध्यस्थता न्यायाधिकरण में 3 (तीन) मध्यस्थ

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

शामिल होंगे। प्रत्येक पक्ष सहमत होगा और एक तीसरे पीठासीन मध्यस्थ को नामित करेगा।

बी. मध्यस्थ आवश्यक रूप से सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और अंपायर एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे।

सी. मध्यस्थता का स्थान उत्तर प्रदेश राज्य होगा।"

प्रतिवादी-निगम के विद्वान अधिवक्ता ने तत्काल आवेदन की अनुरक्षणीयता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।

उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि क्लॉज जीसीसी 7.2 में निर्धारित शर्तें इस तरह के विवाद और मतभेद के शुरू होने से 28 दिनों के भीतर आपसी परामर्श से विवाद या मतभेद को हल करने के लिए प्रदान की गई हैं।

इसलिए प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक ने निगम से संपर्क नहीं किया है, बल्कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ से संपर्क किया है, जिसने पक्षों के बीच विवाद या मतभेद से कोई लेना-देना नहीं है।

इसके विपरीत, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने 23 अगस्त, 2018 के एक दस्तावेज/पत्र पर भरोसा किया है जिसके द्वारा आवेदक ने कार्यकारी अभियंता, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय प्रबंध निदेशक, 4ए, गोखले मार्ग, लखनऊको संबोधित किया है। उक्त पत्र में उल्लिखित 'विषय' स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पत्र आवेदक द्वारा दावों के निपटान के लिए जारी किया गया है।

माना जाता है कि आवेदक द्वारा तत्काल आवेदन जनवरी, 2019 में संकेतित अवधि (28 दिन) की समाप्ति के बाद दायर किया गया है।

पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हालांकि मुद्दे के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है , इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है, वर्तमान में, पार्टियों के बीच विवाद मौजूद है, और ऐसा विवाद उनके बीच किए गए लिखित समझौते के तहत उत्पन्न हुआ है, और ऐसे विवाद के समाधान के लिए एक मध्यस्थता खंड भी मौजूद है। इसके अलावा, पार्टियां अपना स्वयं का मध्यस्थ नियुक्त करने में सक्षम नहीं हैं।

उपरोक्त के मद्देनजर और संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बीच सहमति के अनुसार, इस न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं है परन्तु नियुक्ति.....

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

30 मई, 2019 को सूचीबद्ध किया जाय।

3. शुरुआत में, मेसर्स सीमेंस लिमिटेड (यहां 'दावेदार' के रूप में संदर्भित) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खन्ना ने समीक्षा आवेदन की अनुरक्षणीयताके संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। उनका कहना है कि आवेदन कानून की दृष्टि से विचारणीय नहीं है। मध्यस्थता अधिनियम एक पूर्ण संहिता है, इसमें समीक्षा की कोई अंतर्निहित या अन्य शक्ति नहीं है। विशिष्ट प्रावधान के अभाव में ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी मामले में, दिनांक 08.05.2019 का आदेश एक सहमति आदेश है, समीक्षा के लिए कोई आवेदन इसके खिलाफ नहीं होगा। तीसरा, उन्होंने वर्तमान समीक्षा आवेदन दाखिल करने में देरी पर भी आपत्ति जताई है. उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, यह वांछनीय माना जाता है कि समीक्षा के वास्तविक आधारों पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ने से पहले विचार किया जाए।

4. दूसरी ओर, विपरीत पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्हा के अनुसार, यह न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होने के नाते अपने आदेशों की समीक्षा करने, अपने अभिलेख को सही करने की पर्याप्त शक्ति रखता है। चूँकि विपरीत पक्ष ने कभी भी अपनी सहमति नहीं दी थी और प्रारंभिक आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए,दिनांक 08.05.2019 का आदेश न्यायालय द्वारा पारित कर दिया गया, जो तथ्य सबसे पहले उस आदेश में दर्ज किया गया था, यह न्यायालय अपने रिकॉर्ड को सही करने और विचार करने के लिए बाध्य है और समीक्षा आवेदन पर सुनवाई कर सकता है|इस संबंध में, **श्री सिन्हा ने पुष्पलता जैन बनाम एमएस राज इंटरप्राइजेज; एआईआर ऑनलाइन 2020 एमपी 551**में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले पर भरोसा जताया है। उन्होंने ग्रेटर **मुंबई नगर निगम बनाम प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड; एआईआरल ऑनलाइन 2018 एससी 891**मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भी भरोसा किया है और **यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम इंद्र राज वर्मा एवं अन्य; एआईआर 2018 एएलएल**में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा जताया है।6. अपने निवेदन के दूसरे अंग के रूप में, श्री सिन्हा आगे प्रस्तुत करते हैं कि जिस समीक्षा की मांग की जा रही है वह एक प्रक्रियात्मक समीक्षा है और इसलिए, **ग्रिंडलेज बैंक लिमिटेड बनाम केंद्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं अन्य; 1980 सप्लिमेंट 1 एससीसी 420,**में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर है। समीक्षा

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

आवेदन को पूरी तरह से अनुरक्षणीय योग्य होने का दावा किया गया है। तीसरा, उन्होंने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के बल पर अपनी दलील का समर्थन किया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि उस अधिनियम की धारा 16 के आधार पर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान वर्तमान कार्यवाही पर लागू होते हैं। खैर, इसलिए, वर्तमान समीक्षा आवेदन झूठ होगा।

5. सहमति के संबंध में, श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी समय स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए विपरीत पक्ष द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई थी। मध्यस्थता और सुलह आवेदन अंतर्गत धारा 11(4) संख्या 5 सन् 2019 और उसके प्रस्तर संख्या 2 की सामग्री पर दायर अपनी आपत्तियों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि विपरीत पक्ष ने पहले एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति की थी। न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (इलाहाबाद में) की कमी के कारण, साथ ही उस आवेदन के समय से पहले होने के कारण भी, क्योंकि आवेदक द्वारा क्लॉज जीसीसी 7.2 के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया गया था, जिसके लिए अनिवार्य रूप से पार्टियों को पहले आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकालना आवश्यक था। न केवल वह आपत्ति लिखित आपत्ति में विशेष रूप से उठाई गई थी, बल्कि सुनवाई के समय भी उठाई गई थी जैसा कि आदेश दिनांक 08.05.2019 के प्रस्तर संख्या 8 में दर्ज है। इसके बाद, विपरीत पक्ष द्वारा उठाई गई उस प्रारंभिक आपत्ति का उल्लेख किए बिना और विपरीत पक्ष द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण को रिकॉर्ड किए बिना, एक सरल टिप्पणी की गई है "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और जैसा कि संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के बीच सहमति हुई थी, इस न्यायालय ने नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं ....."। कहा गया है कि उक्त टिप्पणी इस तथ्य से उत्पन्न हुई गलती के तहत की गई है कि मध्यस्थता और सुलह आवेदन अंतर्गत धार 11(4) संख्या 5 सन् 2019 के तहत मध्यस्थता और सुलह आवेदन अंतर्गत धारा 11(4) संख्या 6 सन् 2019, 7 सन् 2019, 8 सन् 2019 के साथ सुना जाने लगा। उन मामलों में, वर्तमान विपरीत पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति को उठाया और दबाया नहीं जा सकता है। उन परिस्थितियों में, एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उन पक्षों के बीच सहमति थी। इस तथ्य के कारण, इस न्यायालय के दिनांक 08.05.2019 के आदेश में एक पेटेंट गलती या त्रुटि आ गई है जिसे सुधारा जा सकता है। अंत में, यह आवेदन किया गया है, कि समीक्षा आवेदन दाखिल करने में कोई देरी नहीं है।

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

6. उपरोक्त दलीलों का श्री खन्ना ने पुरजोर विरोध किया है। अपनी प्रारंभिक आपत्ति के समर्थन में, श्री खन्ना ने सबसे पहले **श्रीमती चंद्रा दीक्षित बनाम. स्मार्ट बिल्डर्स; 2008 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 85 और मै. प्रोपराइटर के माध्यम से शिव हरे बिल्डर्स, आगरा बनाम कार्यकारी अभियंता, प्रांतीय प्रभाग, लोक निर्माण विभाग; 2010 एससीसी ऑनलाइन एएलएल 2309,** में इस न्यायालय के दो पूर्व निर्णयों पर भरोसा किया है।यह प्रस्तुत करने के लिए कि यह मुद्दा अब एकीकृत नहीं है क्योंकि उन दोनों निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पारित आदेश समीक्षा के योग्य नहीं है। इस संबंध में, उन्होंने **एंटीकेरोस शिपिंग कॉर्पोरेशन बनाम में अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड; 2020 (3) एमएचएलजे 855,** बॉम्बे कोर्ट के हालिया डिवीजन बेंच के फैसले पर भी भरोसा जताया है।जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रतिभा इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भिन्न मत दिया, जिस पर विपरीत पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था और राय दी कि नियुक्ति धारा 11 के तहत की गई है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) क्षेत्राधिकार की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

7. प्रक्रियात्मक समीक्षा के मुद्दे पर, यह श्री खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया है, हालांकि उचित मामले में प्रक्रियात्मक समीक्षा का उपाय किया जा सकता है, हालांकि, विपक्षी पक्ष स्वीकृत तथ्यों में प्रक्रियात्मक समीक्षा का कोई आधार स्थापित करने में विफल रहा है वर्तमान मामले में न केवल विपरीत पक्ष पर नोटिस का तामिला ए आरसीओ संख्या 5 सन् 2019 कराया गया था, बल्कि उसने अपनी आपत्तियां भी दर्ज की थीं और दिनांक 08.05.2019 के पारित आदेश के समय उसका विधिवत प्रतिनिधित्व किया गया था। इस प्रकार, प्रक्रियात्मक समीक्षा का कोई आधार नहीं बनता क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और प्रक्रिया के अन्य नियमों का विधिवत पालन किया गया था।

8. दूसरा, **महाराष्ट्र राज्य बनाम रामदास श्रीनिवास नायक एवं अन्य; (1982) 2 एससीसी 463,** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताते हुएयह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 08.05.2019 के आदेश में दर्ज सहमति अंतिम और बाध्यकारी है। विपरीत पक्ष ने न केवल अधिवक्ता के माध्यम से अपनी सहमति दी, जैसा कि उस समय आदेश में दर्ज किया गया था, बल्कि अगली तारीख पर जब मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश की पुष्टि की गई तो कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। प्रतिवादी द्वारा दायर विशेष अपील में इस आशय का

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

कोई आधार नहीं लिया गया। उन्होंने अपील के आधारों का भी उल्लेख किया है (जैसा कि उनके जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न है)। फिर, प्रतिवादी द्वारा दायर एसएलपी में भी सहमति की कमी को चुनौती देने का कोई आधार नहीं उठाया गया। साथ ही, अपील की अनुमति डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिनांक 23.8.2019 के आदेश को चुनौती देने तक ही सीमित थी। दिनांक 8.5.2019 के आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई। इस प्रकार, श्री खन्ना के अनुसार, सहमति का मुद्दा ख़त्म हो गया था। इसे कभी नहीं उठाया गया, लंबे विलंब से दायर वर्तमान समीक्षा आवेदन को छोड़कर, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, मामले के स्वीकृत तथ्य यह हैं कि मध्यस्थता और सुलह आवेदन अंतर्गत धारा 11(4) संख्या 5 सन् 2019 दावेदार द्वारा जनवरी 2019 में दायर किया गया था, जिसमे एक स्वतन्त्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई थी, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ अपने विवादों के समाधान के लिए स्वीकृत रूप से, पार्टियों के बीच एक लिखित समझौता अस्तित्व में है जिसमें मध्यस्थता खंड है। नोटिस पर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उपस्थित हुआ और उपरोक्त आवेदन पर अपनी आपत्तियां दाखिल कीं। उक्त आपत्ति का प्रस्तर संख्या 2 इस प्रकार है:

> *"II. प्रतिवादी नंबर 2 समझौते में कहीं भी पक्षकार नहीं था और इसलिए, उसे याचिका में पक्षकार के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे में, याचिकाकर्ता द्वारा एक बार फिर याचिका दायर की गई, पार्टियों के गलत संयोजन के कारण बर्खास्त किए जाने योग्य है।*
>
> *III. पार्टियों के बीच समझौता, लखनऊ में निष्पादित किया गया था और इस तरह, समझौते के संदर्भ में काम और कर्तव्य लखनऊ में किया जाना था, इसलिए, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को भली-भांति जानते हुए भी कि लखनऊ स्थित माननीय न्यायालय की पीठ के पास इस मामले में विशेष क्षेत्राधिकार है, गलत तरीके से इलाहाबाद में याचिका दायर की है। ऐसे में, उचित क्षेत्राधिकार के अभाव में याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।*
>
> *IV. मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका, क्लॉज-जीसीसी 7.2 के अनुसार समय से पहले है, जिसे याचिका में ही संदर्भित किया*

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

गया है, जिसमें कहा गया है कि मध्यस्थता के लिए किसी भी अनुरोध पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब ऐसे विवादों या मतभेदों को शुरू होने के 28 दिनों के भीतर आपसी परामर्श से हल करने में पक्षकार विफल हो जाय।

V. जीसीसी यह भी साबित करता है कि मध्यस्थता के मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में 3 मध्यस्थ शामिल होंगे और प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ को नामांकित करेगा और ये दो नामांकित मध्यस्थ परस्पर सहमत होंगे और एक तीसरे पीठासीन मध्यस्थ को नामित करेंगे। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने स्वयं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया है और एकमात्र मध्यस्थ के लिए जोर दिया है। इसलिए, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सीधे इस माननीय न्यायालय से संपर्क करना गलत और अवैध है।"

10. लगभग उसी समय, दावेदार द्वारा अन्य वितरण कंपनियों - दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ इसी तरह के विवादों के संबंध में अन्य आवेदन दायर किए गए। दलीलों के आदान-प्रदान पर, सभी चार आवेदन - ARCO नंबर 5 सन्2019, 6 सन्2019, 7 सन् 2019 के 8 सन् 2019 आवेदनों को एक साथ सूचीबद्ध किया गया और सुना गया। दिनांक 08.05.2019 के चार अलग-अलग आदेशों द्वारा सभी आवेदनों पर एक ही स्वतंत्र मध्यस्थ का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद, प्रस्तावित मध्यस्थ की सहमति के लिए, मामलों को 30.05.2019 को फिर से सूचीबद्ध किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने सभी आवेदनों को अनुमति दे दी। इस स्तर पर, उपरोक्त आदेश के खिलाफ, विपक्षी पक्ष ने अकेले विशेष अपील संख्या 696/2019 दायर की। इसकी एक प्रति दावेदार द्वारा समीक्षा आवेदन के अपने जवाबी हलफनामे के साथ संलग्न की गई है। वह अपील पोषणीय न होने के कारण दिनांक 01.07.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई। उस आदेश के खिलाफ, विपक्षी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसका नंबर 17628/2019 था, जिसे निम्नलिखित शर्तों पर दिनांक 23.08.2019 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया:

उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज की गयी सहमति के मद्देनजर "हमें पारित किए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला।" इस स्थिति में, विद्वान अधिवक्ता

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

ने संबंधित अदालत से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की प्रार्थना की गयी। स्वतंत्रता प्रदान की गई।

हालाँकि, इस न्यायालय में विवादित आदेश को नए सिरे से प्रश्नगत करने की स्वतंत्रता नहीं दी, तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज किया जाता है।"

11. इसके बाद, वर्तमान समीक्षा आवेदन 01.10.2019 को दायर किया गया, जिस पर हलफनामों का आदान-प्रदान किया गया और इस प्रकार मामला सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, सबसे पहले, यह देखा जा सकता है, कि विशेष अनुमति याचिका (प्रतिवादी द्वारा दायर) के समय, जिसे 23.08.2019 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ने प्रतिवादी को इस न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी थी। यद्यपि वह अवलोकन समीक्षा आवेदन की अनुरक्षणीयता को जन्म नहीं दे सकता है यदि यह अन्यथा अनुरक्षणीय योग्य नहीं पाया जाता है, साथ ही, देरी के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, यह दर्ज किया जा सकता है कि उस तारीख को कोई अन्य कार्यवाही लंबित या अनुमति योग्य नहीं थी। समीक्षा आवेदन 1.10.2019 को यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी खारिज होने के 40 दिनों के भीतर दायर किया गया था, जिसमें इस न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति दी गई थी।

13. सबसे पहले, यह देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी को खारिज करने के बाद उचित समय के भीतर समीक्षा आवेदन दायर किया गया था। दूसरा, यह नहीं भुलाया जा सकता कि एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को दूसरे से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अकेले उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जिस वादी ने उस प्रमाणित स्वतंत्रता के साथ अन्य संवैधानिक न्यायालय से संपर्क किया है, उसे एक छोटी सी देरी के कारण, अन्य संवैधानिक न्यायालय द्वारा उसे सुनने की अनुमति देने से इनकार या अनिच्छा पर, हतप्रभ और दुखी नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि कोई दिखाया गया कारण पर्याप्त है, विलंब क्षमा किया जाता है। तदनुसार, विलंब माफी आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

14. जहां तक श्री खन्ना द्वारा **श्रीमती चंद्रा दीक्षित बनाम स्मार्ट बिल्डर्स (उपरोक्त) और मैसर्स शिव हरे बिल्डर्स (उपरोक्त)**,के मामलों में आदेशों पर भरोसा जताया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा अधिनियम की धारा

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

11(6) के तहत पारित पहले के दोनों आदेशोंजैसा कि तब था, की समीक्षा की मांग के लिए दायर आवेदनों पर 25.1.2008 और 26.11.2010 को आदेश पारित किए गए थे। निर्विवाद रूप से, उस समय, अधिनियम की धारा 11(6) के प्रावधान उन प्रावधानों से भौतिक रूप से भिन्न थे जो दिनांक 8.5.2019 के आदेश के पारित होने के समय मौजूद थे। अधिनियम संख्या 3 सन् 2016 द्वारा किए गए संशोधन से पहले। (23.10.2015 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ), अधिनियम की धारा 11(6) नीचे दी गई है:

"(6) जहां, पार्टियों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत, -

(ए) एक पार्टी कार्य करने में विफल रहती है जैसा कि उस प्रक्रिया के तहत अपेक्षित है; या

(बी) पक्ष, या दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के तहत अपेक्षित समझौते तक पहुंचने में विफल रहते हैं; या

(सी) एक संस्था सहित एक व्यक्ति, उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है या उस प्रक्रिया के तहत, एक पक्ष मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक उपाय करने का अनुरोध कर सकता है, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति हासिल करने के लिए अन्य साधन प्रदान नहीं करता है।

15. अधिनियम की संशोधित धारा 11(6)(सी) में कहा गया है:

"(सी) एक व्यक्ति, जिसमें एक संस्था भी शामिल है, उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है,

एक पार्टी सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध कर सकती है या , जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा आवश्यक उपाय करने के लिए नामित कोई व्यक्ति या संस्था, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अन्य साधन प्रदान नहीं करता है।

16. सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम एसोसिएटेड ठेकेदारों; (2015) 1 एससीसी 32** ने स्पष्ट रूप से राय दी है (अधिनियम की असंशोधित धारा 11(6) के संदर्भ में) कि मुख्य न्यायाधीश (या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय) के समक्ष दायर एक आवेदन या उनके नामित, उस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया कोई आवेदन नहीं था, जिसमें वह न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित हो सकते हैं। यह उद्धत किया गया कि:

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

"17. .....यह स्पष्ट है कि धारा 11(12)(बी) की आवश्यकता थी ताकि यह स्पष्ट हो कि "उच्च न्यायालय" के मुख्य न्यायाधीश केवल ऐसे मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनकी स्थानीय सीमा के भीतर धारा 2(1)(ई) में निर्दिष्ट प्रधान सिविल न्यायालय स्थित है और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे जिसे धारा 2(1)(ई) में निहित परिभाषा के समावेशी भाग में संदर्भित किया गया है। यह उपधारा किसी भी तरह से मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित को धारा 42 के प्रयोजन के लिए "अदालत" नहीं बनाती है। ***फिर, मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित का निर्णय, निर्णय नहीं है जैसा भी मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायिक प्राधिकारी का निर्णय होने के नाते कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं है, जो अभिलेखीय न्यायालय नहीं है।"***

(जोर दिया गया)

17. दूसरी ओर, संशोधित कानून के तहत, जिससे हम अकेले चिंतित हैं, मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित हो गई - एक न्यायालय के रूप में, उसके मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर। अतः आदेश दिनांक 08.05.2019 निर्विवाद रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश है। तदनुसार, श्री खन्ना द्वारा भरोसा किए गए इस न्यायालय के दो (एकल न्यायाधीश) निर्णयों में शामिल अनुपात, यदि कोई हो, कानून में बदलाव पर अलग-अलग खड़ा होगा। इसी तरह, **एंटीकेरोस शिपिंग कॉरपोरेशन (उपरोक्त)** में, एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश दिनांक 21.04.2011 को यानी 23.10.2015 से पहले किया गया था -अधिनियम की धारा 11(6)(सी) में संशोधन लागू होने की तारीख। इसलिए, यह भी उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था द्वारा पारित आदेश था, न कि स्वयं बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा।

18. वर्तमान मामले में, एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश 08.05.2019 को संशोधन के बाद पारित किया गया था। स्पष्ट रूप से, यह अधिनियम की धारा 11(6)(सी) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश है। इसलिए, श्री खन्ना द्वारा जिस तर्क का प्रयास किया जा रहा है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। तर्क की यह पंक्ति केवल असंशोधित कानून के अंतर्गत आने वाले मामलों पर लागू रहेगी।

19. शक्ति की प्रकृति के संबंध में, चाहे वह न्यायिक हो या प्रशासनिक, असंशोधित धारा 11(6)(सी) के संदर्भ में इसे एक प्रशासनिक शक्ति माना गया था, **एडोर सामिया (पी) लिमिटेड**

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

बनाम पीके होल्डिंग्स लिमिटेड; (1999) 8 एससीसी 572, जैसा कि **कोंकण रेलवे कार्पोरेशन बनाम मेहुल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (2000) 7** एससीसी 201।में तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा पुष्टि की गई; बाद में, एक अन्य संदर्भ पर, कों**कण रेलवे कॉर्पोरेशन बनाम रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड; (2002) 2 एससीसी 388,** सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मेहुल कंस्ट्रक्शन मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचार की पुष्टि की। **अंततः, एसबीपी एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड; (2005) 8 एससीसी 618**में, सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अधिनियम की धारा 11(6)(सी) के तहत शक्ति को न्यायिक शक्ति माना, जिसका प्रयोग या तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उस न्यायालय का नामित न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है। ऐसे न्यायिक आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील योग्य माना गया था। यह उस शक्ति की प्रकृति, 2016 के संशोधन पर है, न्यायिक शक्ति अब इस न्यायालय में निहित है, इसके पहले इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके पदनाम में निहित थी।

20. जैन स्टूडियोज़ लिमिटेड में, इसके अध्यक्ष बनाम शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड; (2006) 5 एससीसी 501में (सर्वोच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का एक दुर्लभ आदेश), यह तर्क दिया गया था, कि क्योंकि मध्यस्थ नियुक्त करने का आदेश (अधिनियम की असंशोधित धारा 11(6) के तहत), भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया था, या उसका नामांकित व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के अर्थ के अंतर्गत एक आदेश है, वह आदेश उस न्यायालय की समीक्षा शक्ति के लिए उत्तरदायी रहेगा। हालाँकि, "सर्वोच्च न्यायालय" और उसके "मुख्य न्यायाधीश" के बीच अंतर और समीक्षा की शक्ति पर परिणामी प्रभाव पर ध्यान दिया जाना बाकी है। इस प्रकार, यह पक्षों के बीच स्वीकारोक्ति पर सुनाया गया निर्णय था। इसलिए इसे उस मामले के तथ्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। अन्यथा भी, अनुच्छेद 137 के केवल सर्वोच्च न्यायालय पर लागू होने के स्पष्ट कारण से, उस निर्णय का अनुपात इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं किया जा सकता है।

21. ग्रेटर **मुम्बई एवं अन्य नगर निगम बनाम प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य; (2019) 3 एससीसी 203,** उच्च न्यायालय 27.06.2017 को एक तटस्थ मध्यस्थ नियुक्त करने आया (अर्थात, संशोधित अधिनियम के तहत)। ऐसा प्रतीत होता है, उस आदेश को बाद में वापस

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

ले लिया गया। हालाँकि, एक अंतर-न्यायालय अपील पर, वापस बुलाने के आदेश को उस न्यायालय की एक खंडपीठ ने रद्द कर दिया था। इस तरह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यह उद्धत किया गया कि,

"10. जहां तक उच्च न्यायालयों के अपने आदेश को वापस लेने के अधिकार क्षेत्र का सवाल है, उच्च न्यायालय अभिलेख की अदालतें हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत स्थापित की गई हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 को इस प्रकार पढ़ा जाता है अंतर्गत:

"215. उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना।--प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसकोअपने अवमान के लिए दण्ड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय, सभी शक्तिया होंगी।"

अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति भी शामिल है"।

यह स्पष्ट है कि इन संवैधानिक अदालतों में, अभिलेख की अदालतें होने के नाते, अपने स्वयं के आदेशों को वापस लेने का अधिकार क्षेत्र इस तथ्य के आधार पर निहित है कि वे अभिलेख की श्रेष्ठ अदालतें हैं। इसे हमारे कई निर्णयों में मान्यता दी गई है।"

22. यह दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है, श्री खन्ना की आगे की दलील कि उस मामले का अनुपात तथ्यों पर भिन्न है, स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। हालांकि यह सच है कि उस मामले में, कोई मध्यस्थता खंड नहीं था, और ग्रेटर मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी द्वारा दिए गए एक बयान के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में बिना अधिकार के स्पष्ट किया गया, फिर भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के आधार पर, न्यायालय में निहित समीक्षा की अंतर्निहित शक्ति के अस्तित्व के प्रश्न परयह तथ्य भेद पूरी तरह से अप्रासंगिक है। एक शक्ति का अस्तित्व और उस शक्ति के प्रयोग का आधार हमेशा दो अलग-अलग मुद्दे होते हैं। जबकि किसी शक्ति के आभाव्व में शक्ति के प्रयोग करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हो सकता इसके विपरीत यह सत्य नहीं हो सकता। शक्ति का अस्तित्व कानून का एक शुद्ध प्रश्न है, जो वैधानिक प्रावधान से जुड़ा है, इस मामले में भारत के संविधान का अनुच्छेद 215उस शक्ति का उपयोग करते समय इसका प्रयोग किया जाएगा या नहीं, इसकी जांच की जा सकती है। हालाँकि, यदि समीक्षा की शक्ति अस्तित्व में नहीं होती, तो इसका प्रयोग करने का अवसर कभी नहीं आता।

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

23. सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट घोषणा के मद्देनजरग्रेटर **मुंबई नगर निगम और अन्य बनाम प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य (उपरोक्त)में** और स्वीकृत तथ्य यह है कि दिनांक 8.5.2019 का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था, न कि इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके नामित (जैसा कि न्यायालय से अलग है), समीक्षा आवेदन पूरी तरह से अनुरक्षणीय पाया गया है।

24. सहमति के संबंध में, यह देखा गया है, न केवल प्रतिवादी ने मध्यस्थता आवेदन संख्या 5 सन् 2019 के प्रति शपथ पत्र के माध्यम से प्रारंभिक आपत्ति उठाई थी बल्कि इसने मौखिक सुनवाई के चरण में प्रारंभिक आपत्तियां भी उठाई थीं। दिनांक 8.5.2019 के आदेश में यह स्पष्ट रूप से दर्ज है। हालाँकि, उस आदेश के बाद के भाग में यह दर्ज है कि पक्ष एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सहमत हुए, तथापि, उस आदेश में कहीं भी यह दर्ज नहीं है कि प्रतिवादी ने अपनी प्रारंभिक आपत्तियाँ छोड़ दीं। यह स्वीकार करना भी मुश्किल है कि इस तरह की प्रारंभिक आपत्ति एक बार उठाए जाने के बाद छोड़ दी गई होगी क्योंकि आदेश में उठाए गए प्रारंभिक आपत्तियों की सटीक प्रकृति या उन पर किसी विचार को भी दर्ज नहीं किया गया है। फिर, यह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि उक्त आदेश आवेदक द्वारा दायर समान आवेदनों पर पारित तीन अन्य आदेशों के साथ पारित किया गया था, जिनका निर्णय भी उसी तारीख को किया गया था।

25. इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 8.5.2019 को आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि उत्पन्न हो गई है। जिससे पक्षों की सहमति दर्ज की गई। ऊपर उल्लिखित तथ्यों के मद्देनजर, मैं प्रथम दृष्टया संतुष्ट हूं कि प्रतिवादी ने अपनी प्रारंभिक आपत्ति नहीं छोड़ी और इसलिए, दर्ज की गई सहमति, न्यायालय के समक्ष मौजूद कार्यवाही के रिकॉर्ड का सच्चा प्रतिबिंब नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिनांक 8.5.2019 के आदेश में एक गलती आ गई है, संभवतः, जैसा कि श्री गिरीश चंद सिन्हा ने सुझाव दिया था, तीन अन्य समान आवेदनों को उसी दिन निपटाए जाने के कारण, जिसमें सहमति पर, एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त किया गया था। समान परिस्थितियों में नियुक्त किया गया। चूँकि, सहमति मौजूद नहीं थी, एक समीक्षा आवेदन अनुरक्षणीयहोगा।

26. गलती की प्रकृति होने के कारण, यह भी वास्तव में प्रासंगिक नहीं है कि शुरू में प्रतिवादी ने सहमति की कमी का आधार नहीं उठाया। एक बार जब न्यायालय को यह प्रतीत हो जाए कि ऐसी सहमति मौजूद नहीं थी, तो न्यायालय का अपना कर्तव्य है कि वह अपना

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*

रिकॉर्ड दुरुस्त रखे। किसी वादी को न्यायालय के रिकॉर्ड में किसी गलती को सुधारने से वंचित करना, जब वह गलती अन्यथा अस्तित्व में प्रतीत होती है, केवल इसलिए कि वादी पहली बार में उसके पास नहीं आया था, इस न्यायालय के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 215 के तहत दिए गए दायित्व को देखते हुए कभी भी प्रासंगिक नहीं हो सकता है। भारत के न्यायालय इस विवाद में पक्षकार नहीं है। उधर, एक वादकारी ने शिकायत की है कि उसका रिकार्ड गलत है। इसके बाद, एक गैर-पक्षपातपूर्ण और स्वतंत्र निर्णायक के रूप में न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह विशेष रूप से अपने रिकॉर्ड को सही करे, क्योंकि वादी ने दिनांक 08.05.2019 के आदेश को सही नहीं माना है।

27. तदनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के आधार पर समीक्षा आवेदन पूरी तरह से कानून में अनुरक्षणीय पाया गया है और चूंकि एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए (प्रतिवादी की) कोई सहमति मौजूद नहीं थी। दिनांक 08.05.2019 के आदेश में की गई टिप्पणी गलत है।

28. जहाँ तक, यह आग्रह किया गया है कि न्यायालय के पास प्रक्रियात्मक समीक्षा की शक्ति है, फिर भी, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है। हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रक्रियात्मक समीक्षा का कोई आधार नहीं बनाया गया है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए श्री गिरीश चंद सिन्हा द्वारा अपनाई गई तर्क की तीसरी पंक्ति को अनिश्चित छोड़ दिया गया है क्योंकि इस न्यायालय के पास स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के आधार पर अपने रिकॉर्ड की समीक्षा करने और सही करने की शक्ति है।

29. समीक्षा आवेदन दिनांक 01.02.2021 को विचार हेतु प्रस्तुत करें।

अस्वीकरण *: - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है / सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा |*